

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

E-Mail : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ (05962) 231099 (05962) 230397 Fax 230397

पत्रांक क 2094 /12-1 (2) दिनांक, अल्मोड़ा, 07.03.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :- कांडा जैठाई से गुरना दफौट मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव।

संदर्भ :- इस कार्यालय की पत्रांक 1996/12-1 दिनांक 26.02.2015 के क्रम में आप द्वारा प्रेषित ऑन लाइन प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 9465/2015)

महोदय,

उक्त मार्ग के ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव के आप द्वारा अंकित किये गये पार्ट-2 में प्रस्तुत सूचनाओं के अवलोकन करने पर निम्न स्थिति संज्ञान में आयी-

1. प्रपत्र के बिन्दु संख्या 15 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या में चीड़ प्रजाति के कुल 34 वृक्ष सूचित किये गये हैं, जिसमें वृक्षों की संख्या व्यास वार निम्न प्रकार दर्शित की गयी है-

चीड़ प्रजाति	0-10 व्यास श्रेणी	1
	10-20 व्यास श्रेणी	3
	20-30 व्यास श्रेणी	7
	30-40 व्यास श्रेणी	13
	40-50 व्यास श्रेणी	2
	50-60 व्यास श्रेणी	6
	60-70 व्यास श्रेणी	2

उक्त व्यास श्रेणी के वृक्षों को आपके द्वारा पार्ट-2 में (Girth Class Wise) निम्न प्रकार दर्शाया है-

31-60 सेमी0	व्यास श्रेणी	-1
61-90 सेमी0	व्यास श्रेणी	-3
91-120 सेमी0	व्यास श्रेणी	-7
120-150 सेमी0	व्यास श्रेणी	-13
150 सेमी0	व्यास श्रेणी	-10

आपको पूर्व में भी नोडल अधिकारी द्वारा दिये निर्देश अनुसार 0-10 व्यास श्रेणी के वृक्षों गणना कर इन्हें सैम्पलिंग में लिया जाना है। आपके द्वारा इस व्यास वर्ग के वृक्ष को 31-60 सेमी0 व्यास वर्ग में दर्शाया है जो कि त्रुटिपूर्ण है इसके अतिरिक्त पार्ट-2 में ऑन-लाईन एस0आई0आर रिपोर्ट संलग्न नहीं है।

कृपया तत्काल अपेक्षित कार्यवाही करें।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तरांचल
अल्मोड़ा

भवदीय

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।